संख्या– 283/12 सी-2-151 (1)|88

प्रेषक,

विनोद शंकर चौबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल,
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 9 मई, 1988

विषयक– दिनांक 1–5– 83 तक सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन को सम्बोधित अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ से पत्रांक 1871/मण्डल–विनियमितीकरण/87 दिनांक 5 जनवरी, 1988, पत्रांक 2363 दिनांक 8 फरवरी 1988 एवं पत्रांक 6378/मण्डल/ 87 दिनांक 8 अप्रैल, 1987 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ० प्र० (उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर)तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण विनियमावली 1985 के प्राविधानों के अन्तर्गत केवल सीधी भर्ती से तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी ही नियमानुसार विनियमित किए जाने के पात्र हो सकते हैं। विनयमिती-करण केवल उन्हीं तदर्थ कर्मचारियों का सम्भव है, जो विनियमितीकरण विनियमावली के अन्य प्राविधानों के अतिरिक्त इसकी धारा–4 की शर्तों को पूरा करते हैं ।

अतः दैनिक मजदूरी पर तैनात कर्पचारी विनियमितीक्रण की पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।

भवदीय
ह०
(विनोद शंकर चौबे)
संयुक्त सचिव

कार्यालय उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, लखनऊ

परिपत्रांक-सी-14/2-विनियमितीकरण-मण्डल/88 दिनांक-लखनऊ : मई 27, 1988

शासन के उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक (बैंकिंग) को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रबन्ध निदेशक, शीर्षस्थ सहकारी संस्थाएं उ० प्र० ।
3. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि० उ० प्र० ।
4. समस्त सचिव, जिला सहकारी विकास संघ लि०, उ० उ० ।
5. सचिव, नार्दन रेलवे इम्पलाइज प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ एवं मण्डल के कार्यक्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थायें ।

(सन्तोष कुमार)
सचिव
उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल
लखनऊ ।
26-5-88